कार्यालयः वन प्रमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा

Court Road, Jamtara, Jharkhand-815351

E-mail :- dfo-jamtara@gov.in, dfo.jamtara@rediffmail.com

अति अल्पकालीन आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जामताड़ा वन प्रमंडल अन्तर्गत नारायणपुर एवं नाला प्रक्षेत्र कार्यालय के परिसर में विभिन्न प्रजाति के काश्ठ भंडारित है। वन क्षेत्र पदाधिकारी, नारायणपुर एवं नाला का मोबाईल नं0– 9608823485/8987790458 एवं स्थल का जी0पी0एस0 N- 24^{0}04'80 E- 86^{0}61.'087/N- 23^{0}54'.58 E-87^{0}2'33 है। ''जहाँ है, जिस स्थिति में है'' के आधार पर कुल– 03 लॉटों की बिक्री हेतु आम नीलामी के लिए तिथि निर्धारित की गई जो निम्नवत है :–

क्र0	वन प्रक्षेत्र का नाम	वनागार का विवरण	आम निलामी की तिथि	आम निलामी का समय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	नारायणपुर	नारायणपुर वन क्षेत्र कार्यालय नारायणपुर	**10.12.2022**	11 बजे पूर्वाह्न	
2	नाला	नाला वन क्षेत्र कार्यालय नाला	**10.12.2022**	3 बजे अपराह्न	

नीलामी की भार्त्ते

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति का GST अन्तर्गत निबंधन होना चाहिए।
2. नीलामी में गेट मनी के रूप में 5000/– (पाँच हजार रूपये) नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट (जो कि Divisional Forest Officer, Jamtara Forest Division, Jamtara के पदनाम से निर्गत एवं जामताड़ा में भुगतेय), पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 निबंधन की छायाप्रति उपलब्ध कराने के पश्चात नीलामी में भाग लेंगे।
3. सर्वोपरी बोली लगानेवाले व्यक्ति को नीलामी में क्रय मूल्य का 20 प्रतिशत राशि तुरन्त जमा करना अनिवार्य होगा। अवशेष राशि जो बैंकर्स चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेंगे, जिसके संबंध में अलग से पत्र निर्गत कर सफल क्रेता को सूचना दी जाएगी।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी भी दिन नारायणपुर एवं नाला प्रक्षेत्र कार्यालय प्रांगण परिसर में लॉटों का अवलोकन कर सकते हैं। लॉट विवरणी प्रमंडलीय कार्यालय, नारायणपुर एवं नाला प्रक्षेत्र कार्यालय से सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।
5. लकड़ियों के क्रय मूल्य के अतिरिक्त अन्य कर (CGST, SGST तथा आयकर) क्रेता द्वारा अलग से जमा कर संबंधित प्रमाण–पत्र प्रमंडलीय कार्यालय, जामताड़ा में जमा करेंगे।
6. प्रमंडलीय कार्यालय, जामताड़ा द्वारा क्रेता से क्रय मूल्य एवं सेस की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त की जायेगी।

7. निलामी में भाग लेनेवाले सफल व्यक्ति 30 (तीस) दिनों के अन्दर पूरी राशि एवं GST तथा अन्य कर नियमानुसार एक मु त में जमा करना होगा।
8. सफल व्यक्ति को GST कर रिटर्न में D.F.O Jamtara **GSTIN No.- 20RCHJ00332D1D7** के पक्ष में रिवर्स चार्ज में प्रविश्टि (Entry) करना होगा। रिर्टन की प्रति प्रमंडलीय कार्यालय, जामताड़ा में जमा करने के पश्चात लकड़ी को विमुक्त किया जायेगा।
9. नीलामी में भाग लेने वाले सफल व्यक्ति द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत पूरी राशि एवं अन्य कर जमा नही करने पर उ नके द्वारा जमा किया गया अग्रधन/प्रतिभूति की राशि बिना कोई कारण बताये राज्यसात (Forfeit) कर लिया जायेगा।

नीलामी की तिथि में परिवर्त्तन एवं रद्द करने की भाक्ति वन प्रमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा को होगा।

(बनकर अजिंक्य देविदास),
भा0व0से0
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जामताड़ा वन प्रमंडल।